अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या–15/07-08

राज्य बनाम राम सिमेन्ट कृते अशोक जैन

21/01/2020 इस वाद की कार्रवाई प्रभारी दण्डाधिकारी, विधि शाखा, रामगढ़ के पत्रांक–177, दिनांक–01.03.2011 के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त अभिलेख पर उपायुक्त महोदय द्वारा प्राप्त आदेशानुसार दोनों पक्षों को भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। अभिलेख के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिनांक–25.08.2008 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश अवलोकन से स्पष्ट है कि विषयगत् वाद गैरमजरूआ खास भूमि से संबंधित है। निम्न न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को भूमि संबंधी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है।

इस वाद की कार्रवाई अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्रांक 691, दिनांक 08.08.2007 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गई है। अंचल अधिकारी, माण्डू ने अपने प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा रउता, थाना सं0–146, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–382, कुल रकवा–55.40 एकड़, मध्ये रकवा–0.15 एकड़ एवं प्लॉट सं0–321, कुल रकवा–60.50 एकड़, मध्ये रकवा–0.60 एकड़, कुल रकवा–0.75 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है, जो श्री राम सिमेन्ट कृते अशोक जैन के नाम से दाखिल–खारीज वाद सं0 461, 462/03–04 के आधार पर पंजी II के पेज सं0 73/3 एवं 77/3 में नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि यह प्रविष्टि पुरानी पंजी II के पेज सं0 101/1 से आया है, जो रघुनाथ साव के नाम पर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से दर्ज है। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 382/रा0, दिनांक 05.02.1985 एवं पत्रांक 1817/रा0, दिनांक 12.11.2002 के आधार पर प्रविष्टि संदेहात्मक प्रतीत होता है।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि विषयगत् वाद गैरमजरूआ खास किस्म जंगल से संबंधित है। संबंधित वाद में निम्न न्यायालय द्वारा भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास जंगल बताते हुए भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है, परन्तु अभिलेख के आदेश फलक में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि जमाबंदी किस धारा के तहत् रद्द किया जाना है।

अतः मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, माण्डू को वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि ग्राम– रउता, थाना सं0–146, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–382, कुल रकवा–55.40 एकड़, मध्ये रकवा–0.15 एकड़ एवं प्लॉट सं0–321, कुल रकवा–60.50 एकड़, मध्ये रकवा–0.60 एकड़, कुल रकवा–0.75

एकड़ सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल भूमि के अवैध दखलकारों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) के तहत् नियमानुसार कार्रवाई कर कृत कार्रवाई प्रस्ताव उचित माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

21/01/2020
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

21/01/2020
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।